



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 466 राँची, शुक्रवार,

10 अक्टूबर, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2025

संख्या-2/रा0, स्था0-36/14-2749/रा.,--उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-408, दिनांक-02.09.2025 के आलोक में श्री गौरांग महतो, भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद पलामू को उनके कार्यों के अतिरिक्त विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू/पुनर्वास पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act.-2013), की धारा 11, 13, 16, 17, 19(2), 26, 40 तथा 81 को छोड़कर भू-अर्जन कार्यों के निष्पादन हेतु समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है। पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के संपादन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5ए, 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदान की जाती है।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार-ग्रहण तक (जो भी पहले हो) के लिए शक्ति प्रदत्त की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलाकान्त गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
